

प्रेस नोट दिनांक – 12.09.2021

इटावा पुलिस द्वारा दो सगी बहनों के साथ गैंगरेप करने वाले 03 अभियुक्तों को मात्र 12 घण्टे में गिरफ्तार किया गया ।

महिलाओं एवं बालिकाओं संबंधी अपराधों की रोकथाम हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा डा० बृजेश कुमार सिंह के निर्देशन में अपर पुलिस ग्रामीण इटावा के मार्गदर्शन एवं क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना सैफई पुलिस द्वारा दो सगी बहनों के साथ गैंगरेप करने वाले 03 अभियुक्तों को मात्र 12 घण्टे में गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 11.09.2021 को थाना सैफई पर दुष्कर्म पीडिता द्वारा सूचना दी कि हम दोनो बहन मैनपुरी का रहने वाली है एवं दिनांक 10.09.2021 किसी कार्य हेतु जनपद इटावा आयी थी । मैनपुरी वापस जाते समय लेट हो गयी तथा थाना सैफई क्षेत्रान्तर्गत किसी वाहन का इन्तजार करने लगी । तभी एक अंजान व्यक्ति द्वारा मैनपुरी जाने की बात कर हमें सहानभूति दिखाते हुए होटल पर खाना खिलाने की बात करने लगा जब हम दोनो बहनों के द्वारा खाना खाने से मना किया तो उस व्यक्ति के द्वारा हमारे साथ मारपीट की गयी । हम दोनो बहने डर कर उसके साथ होटल पर खाना खाने चली गयी । होटल पर खाना- खाते समय उस व्यक्ति के द्वारा एक अन्य व्यक्ति को फोन कर होटल पर बुलाया गया एवं उन दोनो व्यक्तियों के द्वारा शराब का सेवन कर हम दोनो बहनों को मोटरसाइकिल पर बैठाकर सैफई से वाहर रेलवे पुल के नीचे एक तिराहे के पास ले गये जहाँ पर दुकान व कुछ कमरे बने हुए थे । उक्त व्यक्तियों द्वारा एक अन्य व्यक्ति को फोन कर बुलाया गया एवं तीनों व्यक्तियों के द्वारा हमारे साथ दुष्कर्म किया गया ।

पीडिता की तहरीरी सूचना के आधार पर थाना सैफई पर तत्काल कार्यवाही करते हुए मु०अ०स० 208/21 धारा 376 डी,342,323,504,506 भादवि अभियोग पंजीकृत किया गया ।

गिरफ्तारी का संक्षिप्त विवरण-

उक्त घटना पर तत्काल संज्ञान लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा क्षेत्राधिकारी सैफई के नेतृत्व में थाना सैफई से पुलिस टीम गठित कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया । जिसके क्रम में पुलिस टीम अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निरंतर प्रयासरत थी । दिनांक 11/12.9.2021 की रात्रि को पुलिस टीम को मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस टीम द्वारा दो सगी बहनों के साथ गैंगरेप करने वाले स्विफ्ट डिजायर कार में सवार 03 अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया था ।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1. हरीकेश यादव पुत्र मेहताब सिंह निवासी झीगूपुर थाना सैफई इटावा
2. साहिल पुत्र रामअवतार निवासी चौबेपुर थाना सैफई इटावा
3. सनी कुमार पुत्र लाखन सिंह निवासी चौबेपुर थाना सैफई इटावा

पंजीकृत अभियोग-

1. मु0अ0स0 208/21 धारा 376 डी,342,323,504,506 भादवि थाना सैफई  
पुलिस टीम- निरी0 श्री मोहम्मद हमीद प्रभारी निरीक्षक थाना सैफई ,उ0नि0 श्री राजेश  
कुमार,म0उ0नि0 गीता यादव,का0 नीरज,का0 अजीत, म0का0 ममता

सोशल मीडिया सेल  
वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक  
जनपद इटावा